रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2006/आषाढ़ 22, 1928
No. 731] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2006/ASADHA 22, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2006

का.आ. 1088(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे,

और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र के अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों के और द्वीप समूह में वैकल्पिक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सामनाकी जा रही कठिनाइयों की ओर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था ।

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है,
और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केंद्रीय सरकर को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के उप नियम 5 के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में

(क) पैरा 2 के उप पैरा (ix) के दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

"बशर्ते कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए मामला दर मामला आधार पर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन; (2) सचिव, पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग और (4) सचिव, अण्डमान लोक निर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालू खनन की अनुमति दी जा सकती है :

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2007 तक खनन की जाने वाली कुल बालू की मात्रा 22581 घन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यह कि बालु खनन केवल सागर प्रबंधन संस्थान, चैन्नई द्वारा संवर्धी क्षेत्रों के रूप अभिनिर्धारित किए गए क्षेत्रों में किया जाना चाहिए और यह बालू के पुनर्भरण या जमाव की दर पर आधारित होना चाहिए;

परन्तु यह और कि इस उप पैरा के अधीन बालू के खनन हेतु प्रदान की गई अनुमति खनन योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए और संवेदी तटीय पारि प्रणाली, जिसमें प्रवालभित्ति या कछुए, मगरमच्छ, पक्षी घोंसले स्थल और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, यह कि अण्डमान निकोबार प्रशासन एक वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2007 तक वैकल्पिक निर्माण सामग्री को अभिनिर्धारित करेगा,

इसके अतिरिक्त, खनन कार्यों और संघ शासित प्रशान द्वारा किए गए पर्यावरणीय उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए । निगरानी समिति में संघ शासित प्रशासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और अण्डमान निकोबार के एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे । तिमाही निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ;"

(ख) तटीय विनियम क्षेत्र iv अडंमान और निकोबार द्वीप समूह शीर्ष के अधीन अनुबंध-I में मद (iv) की उप मद (ख) में 31 दिसम्बर, 2005 अंकों, और शब्दों के स्थान 31 मार्च 2007 अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. जैड-12011/2/96आई ए-III]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई :—

i. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
ii. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
iii. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
iv. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
v. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
vi. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
vii. का.आ. 988(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
viii. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000

ix. का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
x. का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
xi. का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्तूबर, 2001
xii. का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
xiii. का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2002
xiv. का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
xv. का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
xvi. का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
xvii. का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
xviii. का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
xix. का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2003
xx. का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005

IndiaCode